Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules And Order)
FORM 21C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the Legislative Assembly of <u>Rajasthan</u> from <u>67-Ramgarh</u> Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

ZUBAIR KHAN

vill post ramgarh alwar [sponsored by **Indian National Congress**] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place:

Date: 03-12-2023

(AMIT KUMAR VERMA)

Returning Officer

067-Ramgarh

Legislative Assembly Constituency

Returning Officer

Assembly Constituency

Ramgarh (067)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा। 067-रामगढ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि –

श्री जुबेर खान पता ग्राम व पोस्ट रामगढ जिला अलवर

जो **इंडियन नेशनल काँग्रेस** (मान्यता प्राप्त / रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए है।

उपर्युक्त निर्वाचन - क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक़ रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान - अलवर तारीख – 03-12-2023

अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

रिटर्निंग अधिकारी

उपखण्ड अधिकारित्रिक्त उपखण्ड मुक्किस्ट्रेट

विधानसभा क्षेत्र (67) (रामगेद